न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः—वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 10/2020	तारीख रजू 28.07.2020	तारीख निर्णय ....

1. नारायण पुत्र फेलू बैरवा निवासी तालड़ा तहसील खण्डार।

प्रार्थी

बनाम

1. रामदेवा पुत्र फेलू बैरवा निवासी तालड़ा तहसील खण्डार ।
2. राजू पुत्र नामालूम
3. बाबूलाल पुत्र रामदेवा बैरवा निवासी तालड़ा तहसील खण्डार ।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

श्री रमेश चन्द तेहरिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री त्रिलोक चन्द अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।
   - यह है कि वाद पत्र आज ही श्रीमान जी के समक्ष पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी—पूरी उम्मीद है।
   - यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही समाज के है प्रार्थी की जमीन आराजी खसरा नंबर 293/5 रकबा एक बीघा 5 बिस्वा व आराजी खसरा नंबर 294/5 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम ग्राम कठूली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जो कि प्रार्थी की खातेदारी जमीन है एवं प्रार्थी का ही कब्जा है प्रार्थी उपरोक्त जमीन को हॉक जोत कर के अपने व अपने परिवार का पालना पोषण करता आ रहा है।
   - यह है कि अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के थोकबन्द लठत व्यक्ति है व प्रार्थी को व उसके परिवार को आये दिन हैरान परेशान करते रहते है गाली गलोच करते है मारपीट पर आमदा हो जाते है और प्रार्थी को उसकी खातेदारी जमीन के उपयोग उपभोग में बाधा डालते है।
   - यह है कि अप्रार्थीगण दिनांक 10.06.2020 को एक राय होकर और एक योजना बनाकर हाथों में लाठी गण्डासी लेकर प्रार्थी की खातेदारी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे ट्रेक्टर चलाने की कोशिश की प्रार्थी ने व उसके पुत्र ने इसका विरोध किया तो गाली गलोच व मारपीट पर आमदा हो गये। जिसका की अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है।
   - यह है कि प्रार्थी आराजी खसरा नंबर [illegible] 5 व 294/5 कुल खसरा 2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन के खातेदार व [illegible] की है। जिस पर अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थी की [illegible] में बाधा नहीं डालें। एवं वादीगण को हक अधिकार है कि वह अ[illegible] को पाबन्द कराये कि वह प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे शुदा जमीन के उपयोग उपभोग [illegible] बाधा नहीं डाले।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- यह है कि प्रार्थी ने व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अप्रार्थीगण को समझाया किवह प्रार्थी की हिस्से की जमीन में उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं डाले लेकिन अप्रार्थीगण पर इस समझाईश का कोई असर नहीं हुआ। इसलिये प्रार्थी को दावा पेश करना आवश्यक हुआ।
- यह कि प्रार्थी की खातेदारी की जमीन है इस जमीन के अलावा उनके पास और कोई जमीन नहीं है यदि अप्रार्थीगण ने लठ्ठ के बल पर जमीन छीन ली या जोतने नहीं दी तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
- यह है कि अप्रार्थीगण को यदि पाबन्द नहीं किया गया एवं उन्होंने प्रार्थी को खेत जोतने नहीं दिया जबरदस्ती कब्जे का प्रयास किया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई संभव नहीं।
- यह कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।
- यह है कि प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है। एवं श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है।
- अतः श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद पत्र प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आराजी खसरा नंबर 293/5 व 294/5 कुल खसरा नंबर कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कटूली में प्रार्थी की जमीन के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण कोई बाधा नहीं डाले ना ही किसी अन्य से डालवें। दौराने दावा प्रार्थी की जमीन में अप्रार्थीगण कोई कब्जा कर ले तो उन्हें उनके खर्चे से हटवाया जावें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया है।
   - यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है तथा इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई होने से शामिल में रहते है तथा दोनों भाईयों ने शामिल के ही आराजी खसरा नंबर 293/5 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 294/5 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कटूली में स्थित है। जिसकी दोनों भाईयों ने मिलकर काबिल आदत बनाया तथा दोनों भाई प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 शामिल में काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रार्थी का पटवारी हल्का से संपर्क होने से मन में बदयानती होने के कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी ने अपने नाम इन्द्राज करवा लिया।
   - यह कि उक्त भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलकर एक लाख रूप्ये में गिरवी रख दिया। तथा कुछ समय उक्त आराजीयात गिरवी रही और प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की माली हालत ठीक होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलकर उक्त आराजीयात है रहन राशि 1 लाख रूपये अदा कर रहन मुक्त करवाया। तथा तब से ही उक्त आराजीयात को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपना–अपना हिस्सा 1/2–1/2 पर काश्त करते है
   - अत सेवा में प्रार्थना पत्र काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा मे पाबन्द किया जावे कि वे अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के कब्जे काश्त में दखल पैदा ना करें।

3. प्रार्थी वकील द्वारा जबाबुल जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नंबर 293/5 व 294/5 कुल खसरा 2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन के खातेदार व स्वामित्व की है। जिस पर अप्रार्थीगण को कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थी की उपरोक्त जगीन में बाधा डालें। अतः श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद पत्र अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आराजी खसरा नंबर 293/5 व 294/5 कुल खसरा नंबर कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कठूली में प्रार्थी की जमीन के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण कोई बाधा नहीं डाले ना ही किसी अन्य से डालवें।

4. अप्रार्थीगण वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत जवाबुलजबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है किप्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई होने से शामिल में रहते है तथा दोनों भाईयों ने शामिल के ही आराजी खसरा नंबर 293/5 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 294/5 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कठूली में स्थित है। जिसकी दोनों भाईयों ने मिलकर काबिल आदत बनाया तथा दोनों भाई प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 शामिल में काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 ने मिलकर एक लाख रूपये में गिरवी रख दिया। तथा कुछ समय उक्त आराजीयात गिरवी रही और प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की माली हालत ठीक होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलकर उक्त आराजीयात है रहन राशि 1 लाख रूपये अदा कर रहन मुक्त करवाया। तथा तब से ही उक्त आराजीयात को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपना–अपना हिस्सा 1/2 –1/2 पर काश्त कर रहे है काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा मे पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त में दखल पैदा ना करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2074–2077 के खाता संख्या 43 के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 293/5 व 294/5 कुल रकबा 4–7 बीघा वांके ग्राम कठूली के रिकॉर्डेड एकल खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित भूमि का हिस्सा 1/2– 1/2 पर काश्त कर रहे है। किन्तु अप्रार्थीगणों ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज या शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार को प्रथम दृष्टया अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार नहीं है। प्रथम दृष्टया रिकॉडेड खातेदार का ही विवादित आराजी पर कब्जा माना जाएगा। सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णनीय क्षति का मामला भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतित होता है। इसलिए अप्रार्थी का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त आराजी खसरा नम्बर 293/5 व 294/5 कुल रकबा 4–7बीघा वांके ग्राम कठूली में अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 24/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)